



सप्तदश

बिहार विधान सभा

नवम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 20 आषाढ़, 1945 (श०)
11 जुलाई, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 129

(1)	शिक्षा विभाग	89
(2)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग	08
(3)	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	12
(4)	समाज कल्याण विभाग	05
(5)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	02
(6)	खान एवं भूतत्व विभाग	03
(7)	परिवहन विभाग	09
(8)	मछ निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	01

कुल योग -- 129

भवनों का पुनर्निर्माण

*1. श्री राज कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के मटिहानी विधान सभा अन्तर्गत नगर निगम के वार्ड नम्बर 10 अन्तर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय नागदह एवं वार्ड नम्बर 17 अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, पत्तापुर का भवन काफी जर्जर है, जिससे विद्यालय परिसरों में कभी भी अप्रिय घटना घटने की संभावना बनी हुई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इन जर्जर विद्यालय भवनों का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*2. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड-बिक्रमगंज, पंचायत-जमोढ़ी के ग्राम-जमोढ़ी में मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करते हुये माध्यमिक विद्यालय में तब्दील किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित होने के फलस्वरूप इसे 10 + 2 विद्यालय का दर्जा भी हासिल हो गया है, जबकि इस विद्यालय को उत्क्रमित होने के बावजूद अभीतक भवन निर्माण नहीं हो सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त उत्क्रमित विद्यालय में भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*3. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगाँव)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के कहलगाँव प्रखंड अन्तर्गत श्यामपुर पंचायत के कलागीगंज गाँव के रविदास (हरिजन) टोला में महादलित सामुदायिक भवन नहीं है, जबकि उक्त बस्ती की आबादी पाँच सौ से अधिक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकारी प्रावधान के तहत पाँच सौ आबादी वाले महादलित बस्ती में महादलित सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाना है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त टोला में महादलित सामुदायिक भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कार्य पूर्ण कराना

*4. श्री अमरजीत कुरावाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत मैरवा प्रखंड मध्य विद्यालय, कैथवली के भवन का निर्माण कार्य 10 वर्ष पूर्व हुआ था, परंतु अभीतक पूर्ण नहीं हुआ है, जिस कारण छात्र/छात्राओं को अध्ययन में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का हस्तान्तरण

*5. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत आधारभूत संरचना योजना के तहत निर्मित धरहरा प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय, धरहरा तथा जमालपुर प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय, इन्दुख, पूर्वी पंचायत का भवन बनकर तैयार है परंतु इसका हस्तान्तरण अबतक नहीं हो पाया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इन दोनों विद्यालयों का हस्तान्तरण कर पठन-पाठन सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*6. श्री मनोज मजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिऔंव (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड अगिऔंव के प्राथमिक विद्यालय सेंवथा एवं न्यू प्राथमिक विद्यालय, पश्चिमी मेघरिया का अपना भवन नहीं है, जिस कारण उक्त विद्यालय को दूसरे विद्यालय में मर्ज कर दिया गया है, जिससे उक्त गाँव के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*7. श्रीमती बीमा भारती (क्षेत्र संख्या-60 रूपौली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत रूपौली विधान सभा में कुल 42 (10+2) विद्यालय है, जिसकी चहारदीवारी नहीं रहने से आवरा पशुओं एवं असमाजिक तत्वों से पठन-पाठन प्रभावित रहता है, यदि हाँ, तो सरकार सभी विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रशिक्षण केन्द्र खोलना

*8. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंड अन्तर्गत महूअर स्टेडियम स्थापित है, जहाँ सैंकड़ों एथलेटिक्स खिलाड़ी प्रतिदिन अभ्यास करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि एथलेटिक्स खिलाड़ियों को ध्यान में रखते हुये उक्त स्टेडियम में एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण हो जाने से खिलाड़ी बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर बिहार सहित देश का नाम रौशन कर सकते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंड अन्तर्गत महूअर स्टेडियम में एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा उपलब्ध कराना

*9. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि एकलव्य आवासीय (फुटबॉल) प्रशिक्षण केन्द्र, झंझारपुर (मधुबनी) में संचालित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रशिक्षणार्थियों के आवासन हेतु छात्रावास भवन की स्थिति जर्जर है साथ ही शौचालय, पेयजल आदि का अभाव रहने से कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रशिक्षणार्थियों के आवासन हेतु बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस परिचालन कराना

*10. श्रीमती बीमा भारती (क्षेत्र संख्या-60 रूपौली)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ एवं भागलपुर डिपो से प्रतिदिन रूपौली एवं भवानीपुर के लिये बस का परिचालन नहीं होने से जनमानस को आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों के लिये बस परिचालन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*11. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय पतिया तथा उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय पतिया का चहारदीवारी नहीं होने के कारण बाहरी लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों को अतिक्रमण से मुक्त करा कर कबतक चहारदीवारी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*12. श्री श्रीकान्त यादव (क्षेत्र संख्या-113 एकमा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत प्रखंड मांझी में शिव कैलारा +2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मटियार मांझी सारण स्थित है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय की प्रधानाध्यापिका द्वारा विद्यालय संचालन में अनियमितता बरता जा रहा है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय की उच्चस्तरीय जांच करके दोषी प्रधानाध्यापिका पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*13. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत बंसतपुर प्रखंड में डिग्री कालेज नहीं रहने के कारण उक्त प्रखंड के छात्र-छात्राओं को डिग्री की पढ़ाई के लिए 25 कि०मी० दूर महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय या 45 कि०मी० दूर सीवान जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, जिस कारण संबंधित छात्र-छात्राओं को काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बंसतपुर प्रखंड में डिग्री कॉलेज आरंभ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुनर्निर्माण करना

*14. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति/जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत प्रखंड बोखड़ा के पंचायत चकौनी वार्ड नं०-12 में 200 दलित समुदाय के लोग रहते हैं ;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त वार्ड में दलित समुदाय के लोगों को बैठने हेतु एक सार्वजनिक बैठका का निर्माण 25 वर्ष पूर्व कराया गया था जो बिल्कुल जर्जर हो चुका है, जिसके कारण लोगों को बैठने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बैठका का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार

*15. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थारवाँ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला अंतर्गत अस्थारवाँ विधान सभा के ग्राम बेनार स्थित कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है जिससे कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है, जिसके कारण छात्राओं को हमेशा भय के साये में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का पुनर्निर्माण

*16. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 17 अप्रैल, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "राज्य के 54.7 फीसदी स्कूलों में चहारदीवारी नहीं" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 69785 सरकारी स्कूलों में से 31552 स्कूलों में चहारदीवारी नहीं है तथा 8392 विद्यालयों की चहारदीवारी क्षतिग्रस्त व टूटी हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि चहारदीवारी नहीं रहने के कारण कक्षाओं में रखे समान सुरक्षित नहीं रहता है तथा आये दिन चापाकल, नल सहित अन्य सामान की चोरी होती रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 31552 विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण कराने तथा 8392 विद्यालयों में क्षतिग्रस्त चहारदीवारी का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*17. श्री राम सिंह (क्षेत्र संख्या-4 बगहा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प० चंपारण जिला के बगहा-02 प्रखंड अंतर्गत प्रा० वि० बंजरिया तथा नगर परिषद अंतर्गत शास्त्रीनगर नव सृजित प्रा० विद्यालय के लिए भवन नहीं बनाया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पूर्व से सृजित विद्यालयों में कबतक भवन का निर्माण कार्य कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*18. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत उच्च विद्यालय बंसत छपरा में 05 वर्ष पूर्व भवन निर्माण का कार्य शुरू किया गया था, जिसके संवेदक द्वारा अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिससे छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन में असुविधा हो रही है, यदि हाँ, तो चर्णित विद्यालय के भवन निर्माण कार्य कबतक पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था करना

*19. श्रीमती निशा सिंह (क्षेत्र संख्या-66 प्राणपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत प्राणपुर प्रखंड के रोशना स्थित ज्ञानदा उच्च विद्यालय 10+2 जिसे चार वर्ष पूर्व 10+2 की मान्यता प्राप्त हुई है, उक्त विद्यालय में 10+2 के लिए एक भी शिक्षक नहीं है और न ही कभी पढ़ाई हुआ है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में शिक्षकों की पदस्थापना करके पठन-पाठन की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का जीर्णोद्धार

*20. श्री राजीव कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-164 तारापुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि तारापुर विधान सभा अन्तर्गत टेटिया बंबर प्रखंड के ग्राम-टेटिया स्थित बुनियादी विद्यालय तथा कैशाली पंचायत के ग्राम-गौरवडीह स्थित बुनियादी विद्यालय काफी जर्जर स्थिति में है, जिससे यहां के शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*21. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 19 नवम्बर, 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "फैसला 10वीं पास आई०टी०आई० करने वाले का अब स्नातक में सीधा दाखिला" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार में 12वीं के साथ ही 10वीं पास छात्र भी आई०टी०आई० की पढ़ाई करते हैं, जिससे 12वीं पास आई०टी०आई० करने वाले छात्र तो आसानी से स्नातक में नामांकन ले लेते हैं, लेकिन 10वीं पास करने के बाद आई०टी०आई० करने वाले छात्र स्नातक में नामांकन नहीं ले पा रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन राजभवन के आदेश को मानने से इंकार कर रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार 10वीं पास आई०टी०आई० उत्तीर्ण छात्रों का सीधा नामांकन स्नातक में कराने तथा विभागीय आदेश का उल्लंघन करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा राशि का भुगतान

*22. श्री निरंजन कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-71 बिहारीगंज)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला अन्तर्गत ग्वालपाड़ा प्रखंड के झलारी पंचायत के भलूवाही गाँव के वार्ड नं० 5 के मनोज सुतिहार, पिता-गणेशी सुतिहार की दिनांक 10 नवम्बर, 2022 को ग्वालपाड़ा के नजदीक सड़क दुर्घटना हो गया था, जिसका इलाज के दौरान दिनांक 13 नवम्बर, 2022 को मृत्यु हो गयी थी, जिसका धाना कांड संख्या 191/2021 है, परन्तु मृतक के आश्रित को मुआवजा की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार मृतक के आश्रित को मुआवजा की राशि कबतक भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*23. श्री हरीभूषण ठाकुर "बचोल" (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बिस्फी प्रखंड के उच्च विद्यालय, बिस्फी, परसौनी, सिंधासो, घाटभरता, उच्च विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण नहीं होने के कारण उक्त विद्यालय में छात्रों के पठन-पाठन में बाधा उत्पन्न होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*24. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के डुमराँव अनुमण्डल के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से अंगीभूत एक मात्र कॉलेज डी०के० कॉलेज जिसमें प्रत्येक वर्ष 7800 विद्यार्थियों का नामांकन होता है परन्तु कॉलेज में स्वीकृत पद के विरुद्ध जंतु विज्ञान विभाग, भौतिकी, रसायन, बॉटनी, गणित सहित कई विभाग में शिक्षकों की भारी कमी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि है उक्त कॉलेज में विद्यार्थियों की क्षमता के मुताबिक शैक्षणिक कार्यों के लिये भवन नहीं है जिससे विद्यार्थियों शिक्षण प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार डी०के० कॉलेज में विद्यार्थियों

की संख्या और विभाग के मुताबिक शिक्षकों की व्यवस्था तथा भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय स्थापित करना

*25. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में 11 जिलों में सिमुलतला आवासीय विद्यालय के तर्ज पर नये स्कूलों की स्थापना करने तथा उक्त आवासीय विद्यालयों को आगामी शैक्षणिक सत्र 2024 से संचालित किये जाने का निर्णय सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी की सामान्य बैठक में वर्ष 2023 में लिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार राज्य के सर्वाधिक पिछड़ा एवं नीति आयोग द्वारा घोषित आकांक्षी जिला अररिया में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये शिक्षा विभाग की ही अपनी जमीन लालजी उच्च विद्यालय, रानीगंज के 46 एकड़ खाली पड़े भू-खंड पर रानीगंज में एक आवासीय विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियोजन करना

*26. डॉक्टर संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबता)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रखंड साधन सेवी (विघटित बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्) के संबंध में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित 06 सदस्यीय कमेटी द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2021 को निर्णय लिया गया कि इनका सामग्र शिक्षा में बी०आर०पी० के पद पर नियोजित होने तक मानदेय भुगतान किया जायेगा ;

(2) क्या यह बात सही है कि पुनः निर्देश माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक 2028, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 द्वारा इन प्रखंड साधन सेवियों को 30 अक्टूबर, 2022 के बाद किस उद्देश्य से अपने निर्णय से पलटते हुये कार्य मुक्त कर दिया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उतर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इनका नियोजन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दर्जा दिलाना

*27. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 8 जून, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "संस्थान कम-से-कम 20 साल पुराना हो और लगातार तीन बार NAAC से ए ग्रेड मिला हो तभी कॉलेज बन सकेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिये मानक में किये गये बदलाव के कारण बिहार राज्य के पटना वीमेंस कॉलेज को छोड़कर कोई भी महाविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने हेतु अर्हता पूरी नहीं करता, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के शिक्षण संस्थाओं को यू०जी०सी० के मानक के अनुरूप डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने हेतु कौन-सा कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बिजली कनेक्शन देना

*28. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के आँगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली कनेक्शन का प्रावधान नहीं रहने के कारण सरकारी भवनों में भी चल रहे आँगनवाड़ी केन्द्रों में निजी तौर पर बिजली कनेक्शन लेना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सभी आँगनवाड़ी केन्द्रों में सरकार के स्तर पर बिजली कनेक्शन लिये जाने का प्रावधान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*29. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरारू प्रखंड अन्तर्गत पंचायत कोचि में मध्य विद्यालय, कोखड़ा अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय वर्ग में 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जिसमें कुल छात्रों की संख्या 325 है, जिसका भवन विगत 5 वर्षों से जर्जर स्थिति में है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में नये भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*30. श्री अमरजीत कुरावाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत मैरवा के उत्क्रमित उच्च विद्यालय इंग्लिस, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, धमौउर तथा उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बड़गांव का अपना भवन नहीं रहने के कारण पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में कबतक भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण

*31. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत गौराडीह प्रखंड स्थित प्रखंड संसाधन केन्द्र (BRC) का भवन जर्जर है, जिस कारण कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड संसाधन केन्द्र का नया भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी कराना

*32. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत योगापट्टी स्थित नवसृजित नगर पंचायत, मच्छरगांवा में स्थित SHRI नरसिंह नारायण खेल मैदान का उचित रख-रखाव के अभाव में उक्त स्टेडियम का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त खेल मैदान का चहारदीवारी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नामांकन की सुविधा

*33. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के उत्क्रमित +2 विद्यालयों में उसी विद्यालयों के 10वीं पास छात्रों के लिये भी नामांकन की प्रक्रिया जटिल हो गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अरवल एवं कलेर प्रखंड के पंचायत सोनवर्षा, कमता, रामपुर वैना के छात्र-छात्राओं को प्रथम च्वाइस के बावजूद सुदूर दूसरे जिलों में नामांकन के लिये सूची बनाई जाती है, जिससे छात्र-छात्राओं को अपने नजदीकी विद्यालय में नामांकन नहीं हो पाता है, जिससे छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्र-छात्राओं के लिये नजदीकी स्कूल अथवा महाविद्यालय में नामांकन की सुविधा पर विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था करना

*34. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में पिछले दो वर्षों में मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 52 बहादुरगंज विधान सभा क्षेत्र में अनेकों मदरसा शिक्षक विहीन हो गया है या एकल शिक्षकीय हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे मदरसों को चिन्हित कर तत्काल शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जमीन का अधिग्रहण

*35. श्री शम्भु नाथ यादव (क्षेत्र संख्या-199 ब्रह्मपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के ब्रह्मपुर प्रखंड के छोटकी नैनीजोर दलित टोला स्थित प्रा०वि०, शती माई विद्यालय को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि छोटकी नैनीजोर दलित टोला शती माई विद्यालय के पास विद्यालय निर्माण हेतु पर्याप्त मात्रा में सरकारी जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छोटकी नैनीजोर दलित टोला में शती माई विद्यालय के पास में जमीन अधिग्रहण कर या सरकारी जमीन पर नये सिरे से बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*36. श्री राम सिंह (क्षेत्र संख्या-4 बगहा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के बगहा-01 प्रखंड अन्तर्गत प्रा०वि०, बकवा रता, नड्डा दक्षिण टोला, हमीरा, गरीब शाही, पहाड़ी मझौआ, बागबीन टोली एवं बडहरवा काँटा, महादलित बस्ती में संचालित प्राथमिक विद्यालय बिना भवन के ही चलाये जा रहे हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार बच्चों के बेहतर शिक्षा हेतु वर्णित विद्यालयों का कबतक भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पार्क का निर्माण

*37. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज विधान सभा क्षेत्र में बच्चों के मनोरंजन एवं बड़े बुजुर्गों के घूमने अथवा टहलने हेतु किसी भी तरह के पार्क का निर्माण अभीतक विभाग द्वारा नहीं करवाया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नरपतगंज में पार्क का निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का जीर्णोद्धार

*38. श्री राजीव कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-164 तारापुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि तारापुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत टेटिया बंबर प्रखंड के बनहरा पंचायत के मिल्की ग्राम स्थित बुनियादी विद्यालय काफी जर्जर स्थिति में है, जिससे शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*39. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पूर्णियाँ पूर्व प्रखंड स्थित पंचायत महाराजपुर उत्कर्मित उच्च विद्यालय तथा पंचायत रामपुर उत्कर्मित उच्च विद्यालय, बेलवा चहारदीवारी विहीन है, विद्यालय में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण असमाजिक तत्व तथा पशुओं का जमाबड़ा लगा रहता है, जिससे छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपर्युक्त दोनों उत्कर्मित उच्च विद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि जमा कराना

*40. श्री अशोक कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-92 सकरा (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग के पत्रांक 331, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया था कि 'यू0टी0आई0' रिटायर्ड बेनिफिट पेंशन फंड स्कीम' के तहत नियोजित शिक्षकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली बकाये राशि का भुगतान सी0एफ0एम0एस0 पद्धति द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये किया जाये ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना और मुजफ्फरपुर जिला में अभीतक एक भी नियोजित शिक्षकों को जनवरी, 2013 से अगस्त, 2020 तक के प्रतिमाह 200 रुपया की दर से बकाया अंशदान पेंशन फंड में जमा नहीं किया गया है जिससे सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों के UPI रिटायर्ड बेनिफिट पेंशन फंड में सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि शीघ्र जमा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*41. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के बिक्रम विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रखंड नौबतपुर स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय, अनंतपुर में कार्यरत सुनीता देवी, रसोइया की मृत्यु सेवाकाल में ही दिनांक 1 मई, 2022 को हो चुकी है, परन्तु 1 वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी अभीतक स्वर्गीय सुनीता देवी के आश्रितों को सरकार द्वारा अनुदान की राशि भुगतान नहीं किये जाने का औचित्य क्या है ?

भवन का निर्माण

*42. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत जमालपुर नगरपालिका क्षेत्र के पार्वती देवी +2 उच्च विद्यालय का भवन जीर्ण-शीर्ण हो गया है, जिससे वहाँ के छात्रों के पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार इस विद्यालय के जर्जर भवन का कबतक निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमियाँ दूर कराना

*43. श्री अशोक कुमार (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत रा0 बुनियादी विद्यालय, खैरी, रा0 उच्च माध्यमिक विद्यालय, हासोपुर के साथ कई अन्य पुराने विद्यालयों में वर्ग कक्ष, हॉल, बेन्च, डेस्क इत्यादि की कमी तथा विद्यालय परिसर में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिये ऐसे पुराने विद्यालयों में पठन-पाठन का स्वस्थ इंतजाम कराते हुये सभी कमियों को दूर कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन-सह-शेड का निर्माण

*44. डॉ० निक्की हेन्ड्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत बाँसी प्रखंड के सरूआ पंचायत के भागा, सांझोतरी, साहुपोखर छकुआ टोला, हरियारी एवं जंगलपुरा ग्राम में सामुदायिक भवन-सह-शेड का निर्माण नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्रामों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति की मानक पैमाना 500 सौ से अधिक या 100 से अधिक घर की बसावट होने के बावजूद भी सामुदायिक भवन-सह-शेड का निर्माण नहीं किया गया है जिससे ग्रामीणों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में सामुदायिक भवन-सह-शेड का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आपूर्ति करना

*45. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा विगत 6 माह में गैर-न्यायिक मुद्रांकों की छपाई का व्यादेश बंद करने एवं सभी जिला कोषागारों को मुद्रांकों की आपूर्ति नहीं होने के कारण राज्य के हजारों मुद्रांक विक्रेता भूखमरी के कगार पर है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुद्रांकों की छपाई का व्यादेश देने एवं मुद्रांकों की आपूर्ति निमित रूप से करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बसों का परिचालन

*46. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत गया से शेरघाटी प्रखंड भाया चेरकी होते हुये बिहार राज्य परिवहन निगम की बसों का परिचालन किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पर्याप्त सवारी रहते हुये भी शेरघाटी प्रखंड से पटना जाने हेतु बिहार राज्य बस परिवहन निगम की बसों का परिचालन नहीं किया जाता है, जिससे राहगीरों को ज्यादा पैसा देकर प्राइवेट बसों से पटना जाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक शेरघाटी प्रखंड से पटना जाने हेतु बिहार राज्य परिवहन निगम की बसों का परिचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*47. डॉक्टर संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत परबत्ता विधान सभा क्षेत्र में परबत्ता प्रखंड के खजुरैठा पंचायत के उच्च विद्यालय, मधुरापुर में खपरैल भवन है जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खपरैल भवन के जीर्ण-शीर्ण होने से छात्र-छात्राओं को परेशानी होती है और पठन-पाठन में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कर्मों का दर्जा देना

*48. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि 'बिहार राज्य शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2023' के अनुसार बिहार के सभी पूर्व नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मों का दर्जा देने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा देने को अनिवार्य किया गया है जबकि इसमें कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए सीटों की रिक्ति नहीं दी गई है क्या यह सही है कि इसके चलते राज्य कर्मों बनने हेतु सभी शिक्षकों को समान अवसर नहीं मिल रहा है, अगर उपरोक्त खंडों का जवाब सकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्व नियोजित शिक्षकों के लिए परीक्षा का शर्त वापस लेकर सभी को बिना शर्त राज्य कर्मों का दर्जा देने का विचार रखती है नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय खोलना

*49. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनिया (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत मोहनिया विधान सभा के कुदरा प्रखंड के डेरवा पंचायत के गौरा ग्राम में प्राथमिक विद्यालय नहीं है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने के कारण बच्चों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है ;
- (3) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय हेतु 01 एकड़ 39 डीसमील जमीन उपलब्ध है ;
- (4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*50. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किरानगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन विधान सभा के प्रखंड-कोचाधामन पंचायत-काठामाटा में धनपतगंज हाई स्कूल में छात्रावास नहीं रहने से छात्रों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार धनपतगंज हाई स्कूल में छात्रावास का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

*51. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अंतर्गत गया शहर स्थित मानपुर बस स्टैंड से टेउस, मौलानगर, बधानी होते हुए पर्यटक स्थल राजगीर तक के लिए बिहार सरकार के सरकारी बस के परिचालन नहीं होने से आम जनता को आवागमन में काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर कबतक सरकारी बस परिचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण करना

*52. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत प्रखंड रफीगंज के पंचायत चैव के ग्राम प्राणपुर में उर्दू प्राथमिक विद्यालय नहीं है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि उर्दू प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने के कारण छात्र एवं छात्राओं को पढ़ने हेतु 2 किलो मीटर दूर दूसरे ग्राम-फतेहपुर जाना पड़ता है, जबकि पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 200 से अधिक है, उक्त स्थान पर न यूनिट है न ही भवन है, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर जमीन उपलब्ध करवाते हुए यूनिट के साथ प्राथमिक विद्यालय खोलने एवं भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों का स्थानांतरण

*53. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए शिक्षक नियमावली सेवाशर्त, 2020 के अनुसार शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान करने के बावजूद इस संबंध में अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते बिहार के शिक्षकों विशेषकर महिलाओं और दिव्यांगों को असुविधा हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार बिहार के शिक्षकों का शैक्षिक स्थानांतरण की प्रक्रिया कबतक शुरू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*54. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-24 बथनाहा (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के बथनाहा विधान सभा में सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत खापखोपराहा पंचायत के दुलारपुर ग्राम में प्राथमिक विद्यालय मुसहरी टोल में भवन जर्जर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भवन के अभाव में बच्चों की पढ़ाई एवं उनका भविष्य वर्ष 2007 से ही प्रभावित हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में भवन निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस सेवा शुरू करना

*55. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (क्षेत्र संख्या-127 राजापाकर (अ0 जा0))--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना से जन्दाहा (वैशाली) एवं पटना से महुआ (वैशाली) तक सरकारी बस सेवा नहीं रहने के कारण स्थानीय लोगों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों रूट पर सरकारी बस सेवा शुरू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छठ घाट का निर्माण

*56. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत नगर पंचायत नरपतगंज में जे0बी0सी0 नहर पर बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु छठ पर्व मनाते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि नरपतगंज के जे0बी0सी0 नहर पर छठ घाट का निर्माण नहीं होने से श्रद्धालुओं को छठ पर्व मनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित स्थल पर छठ घाट का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भाड़ा पुनरीक्षण एवं पुनर्निर्धारण करना

*57. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ0 जा0))--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कोरोना काल में भाड़े की सरकारी एवं निजी वाहन सेवा में 50 प्रतिशत यात्रियों को बैठाने के निर्देश पर भाड़ा में वृद्धि कर लगभग दुगुणा कर दिया गया था, जबकि कोरोना काल बीतने के बाद भी बढ़ाया गया किराया आजतक यात्रियों से लिया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक भाड़ा पुनरीक्षण एवं पुनर्निर्धारण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*58. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के प्रखंड राजपुर के पंचायत दुलफी अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय डिलिया टोला वास्ते भूमि एवं भवन नहीं है जिसके कारण विद्यालय के बच्चे अन्यत्र जगह जाकर अध्ययन करते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय के लिये भूमि अधिग्रहण कर कबतक भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*59. श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिला के मैनाटांड प्रखंड के चौहट्टा, रामपुर, भंगहां पंचायतों में बंगाली शरणार्थी और उराव जन-जाति के लोग निवास करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त तीनों पंचायतों में कहीं भी दोनों समुदायों के सांस्कृतिक परम्पराओं, भाषा आदि के संरक्षण के लिये कोई पुस्तकालय या सांस्कृतिक केन्द्र भवन नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बंगाली शरणार्थी और उराव आदिवासी समुदाय के लिये पुस्तकालय-सह-सांस्कृतिक केन्द्र भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अवैध खनन पर रोक लगाना

*60. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गंगा की सहायक नदियों से बालू की अंधाधुंध अवैध निकासी के कारण गंगा की सहायक नदियां यथा क्यूल, बरनार, चांदन आदि सहित राज्य की 40 से अधिक नदियां केवल मिट्टी की सड़क में बदल गयी है और उसके आसपास की 50 किलोमीटर की परिधि में भू-जल समाप्त हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार नदियों से बालू के हो रहे अंधाधुंध अवैध खनन पर रोक लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*61. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पताही प्रखंड के बेतौना ग्राम पंचायत के उत्कर्मित हाई स्कूल बेतौना का 8 वर्ष पूर्व भवन निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिसे संवेदक द्वारा पूरा नहीं किया गया, जो अभीतक अधूरा है, जिससे छात्र/छात्राओं के पठन-पाठन में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित उच्च विद्यालय के भवन निर्माण कार्य को पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*62. श्रीमती निशा सिंह (क्षेत्र संख्या-66 प्राणपुर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत आजमनगर प्रखंड में

स्टेडियम नहीं रहने के कारण यहां के बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मैदान में स्टेडियम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कटाव को रोकना

*63. श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पं० चम्पारण के वाल्मिकीनगर टाइगर रिजर्व क्षेत्र के संवेदी जोन से बहने वाली डोहरम नदी से मैनाटाड अंचल के मानपुर विरंची 3 व डमरापुर गाँवों और ओरिया नदी से सीसवा, भंगहा-ददीयानी गाँवों के पास की वनभूमि, कृषि भूमि के साथ घर मकान, मंदिर, स्कूल व कब्रिस्तान आदि की कटाव नदियों में मिट्टी, बालू, पत्थर के उठाव पर रोक के कारण प्रति वर्ष जारी है, यदि हाँ, तो सरकार डोहरम और ओरिया नदियों द्वारा हो रहे कटाव की समस्या का निदान करने के विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभार दिलाना

*64. श्री हरि नारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के राम नगीना सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तेलमर में जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा के कार्यालय आदेश पत्रांक सं०-168, दिनांक 27 जनवरी, 2023 के प्रभाव से चितरंजन को प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक राजकुमार जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा का आदेश मानने को तैयार नहीं है, और अबतक प्रभारी प्रधानाध्यापक, चितरंजन को प्रभार नहीं दिया है, जिससे विद्यालय का संचालन बुरी तरह से प्रभावित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक राजकुमार से प्रभारी प्रधानाध्यापक चितरंजन को प्रभारी प्रधानाध्यापक का प्रभार दिलाना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार

*65. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत इस्लामपुर प्रखंड में स्थित प्रा० विद्यालय, खेदन विगहा और प्राथमिक विद्यालय, रूपनपुर के भवन विगत 5 वर्षों से जर्जर होने के कारण छात्र/छात्राओं के पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों विद्यालय भवन निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता सदस्य ने दो वर्ष पूर्व मा० मंत्री, शिक्षा विभाग एवं प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग को वर्ष 2021, वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 में पत्र लिखने के बावजूद आजतक उक्त भवनों का निर्माण नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों के भवन का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कमरों का निर्माण

*66. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनिया (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत मोहनिया विधान सभा के मोहनिया प्रखंड के मोहनिया नगर में स्थित प्रोजेक्ट शांति उच्च विद्यालय में कमरों के अभाव में विद्यालय के लगभग 2000 छात्राओं को पठन-पाठन करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में कबतक अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन का निर्माण

*67. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के अंतर्गत सरोत्तर, सुंदरापर, मठिया सहित 5 से अधिक पंचायतों के अनुसूचित जाति बहुल टोलों में सामुदायिक भवन के निर्माण का टेंडर फाइनल होने के बाद भी अभीतक सामुदायिक भवनों का निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक विलंब के लिये दोषियों पर कार्रवाई के साथ-साथ उपर्युक्त सामुदायिक भवनों का निर्माण कार्य पूरा करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभार देना

*68. श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद (क्षेत्र संख्या-57 बायसी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के बायसी प्रखंड एवं डगरूआ प्रखंड के विद्यालयों में कनीय शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, जबकि विद्यालय में वरीय शिक्षक मौजूद है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जांच कर कनीय शिक्षक को हटाकर वरीय शिक्षक को विद्यालय का प्रभार देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-शेड का निर्माण

*69. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिलान्तर्गत घाटकुसम्भा प्रखंड के ग्राम-पानापुर दलित टोला, बाऊघाट दलित टोला, मुड़वडिया दलित टोला, हरनामचक दलित टोला में सामुदायिक भवन-सह-शेड नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्रामों में सामुदायिक भवन-सह-शेड नहीं होने से अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वोकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गांवों में सामुदायिक भवन-सह-शेड का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*70. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (क्षेत्र संख्या-127 राजापाकर (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही प्रखंड के ग्राम पंचायत तिरहुता के संस्कृत मध्य विद्यालयों में भारी अनियमितता हुई है, इस संबंध में विशेष निदेशक शिक्षा विभाग के पत्रांक 10/व-02/2023-98 के द्वारा अनुमंडलाधिकारी, मधुबनी को जांच हेतु पत्र दिया गया था, अनुमंडलाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के पत्रांक 04, दिनांक 16 फरवरी, 2023 में भारी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर सचिव एवं प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई करने विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मान्यता देना

*71. श्री विनय कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-80-बेनीपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिलट महथा आदर्श महाविद्यालय, बहेड़ी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय को स्नातक (विज्ञान) की दी गयी स्वीकृति में भौतिकी और गणित विषय नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय को स्नातक की पढ़ाई के लिये भौतिकी एवं गणित विषय की मान्यता देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*72. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत डण्डखोरा तथा कदवा प्रखंड में मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत फुटबाल स्टेडियम का निर्माण डुमरिया तथा कुम्हडी में कराया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य संवेदक द्वारा अभीतक पूर्ण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त स्टेडियम का निर्माण कार्य कबतक पूर्ण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*73. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखंड अन्तर्गत मोरसंड पंचायत के एम०एस० उच्च विद्यालय, गैघट एवं धनुषी पंचायत के एम०एस० उच्च विद्यालय, तर्कार भवन के अभाव में दूसरे विद्यालय में चलाया जा रहा, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त उच्च विद्यालयों में कबतक भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*74. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत ईशुआपुर प्रखंड के श्री नन्दन गया उच्च विद्यालय, रामपुर अटौली एवं पानापुर प्रखंड के सतजोड़ा हाई स्कूल, सतजोड़ा के प्रभारी प्रधानाध्यापकों द्वारा छात्र कोष की राशि का पिछले दस वर्षों से खाते के द्वारा संचालित नहीं कर राशि का मनमाने ढंग से सीधे खर्च किये गये हैं, जो कि बहुत बड़ी वित्तीय अनियमितता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों के दोषी प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कबतक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभार देना

*75. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत ईशुआपुर प्रखंड के खोमारी साह उच्च विद्यालय के तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक, श्री धमेन्द्र कुमार को वित्तीय अनुशासनहीनता के आरोप में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, सारण के पत्रांक 530, दिनांक 29 नवम्बर, 2022 के आलोक में निलम्बित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि निलम्बित प्रधानाध्यापक, श्री धमेन्द्र कुमार अपना दैनिक कार्य का प्रभार, श्री नंद कुमार, शारीरिक शिक्षक को देकर विरामित हुये हैं जबकि नियमानुसार शारीरिक शिक्षक को प्रधानाध्यापक का प्रभार नहीं देने का प्रावधान है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में प्रधानाध्यापक का वित्तीय एवं दैनिक प्रभार किसी वरीय शिक्षक को देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति

*76. श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत प्रखंड दरियापुर एवं परसा के प्राथमिक विद्यालय एवं उत्कर्मित उच्च विद्यालय एवं मध्य विद्यालयों में विषयवार शिक्षक नहीं रहने के कारण पठन-पाठन का कार्य बाधित रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित प्रखंडों के प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय एवं उत्कर्मित उच्च विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की बहाली करना

*77. श्री सैयद रूकनूद्दीन अहमद (क्षेत्र संख्या-57 बायसी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के बायसी प्रखंड एवं डगरूआ दोनों प्रखंडों के प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षक नहीं हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों प्रखंडों में विगत 15 सालों से शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं होने के कारण किसी विद्यालय में या तो अधिक शिक्षक अथवा किसी विद्यालय में कम शिक्षक हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों प्रखंडों में छात्रों के हिसाब से शिक्षकों को स्थानान्तरण कर एवं नये शिक्षकों की बहाली कर पढ़ाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*78. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत प्रखंड बैसा में पिछले 1 वर्ष से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पद रिक्त है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नहीं रहने से आँगनबाड़ी केंद्रों का संचालन एवं नियंत्रण सही तरीके से नहीं हो रहा है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित करना

*79. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत वीरपुर प्रखंड के डीहपर पंचायत में अवस्थित राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय, डीहपर तथा बरौनी प्रखंड के बधनगामा पंचायत में अवस्थित उच्च माध्यमिक +2 विद्यालय में स्वीकृत पद के विरुद्ध शिक्षकों का पदस्थापन नहीं है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि पर्याप्त शिक्षकों के अभाव में उक्त विद्यालयों में क्रमशः 650 एवं 300 छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन करने में काफी कठिनाई होती है, साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य पर गहरा असर पड़ रहा है तथा विद्यालय में नये छात्र/छात्राओं का नामांकन की संख्या काफी कम हो गई है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यार्थियों के हित में उक्त विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरुद्ध शिक्षकों का पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जर्जर भवन की मरम्मती

*80. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत वीरपुर प्रखंड के डीहपर पंचायत में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय, डीहपर तथा वीरपुर पूर्वी पंचायत के स्व० वैद्यनाथ प्रसाद सिंह उच्च विद्यालय का भवन जर्जर होने के साथ-साथ पर्याप्त कमरा भी नहीं है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि पर्याप्त कमरा के अभाव में उक्त विद्यालय में क्रमशः लगभग 250 एवं 1500 छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन करने में काफी कठिनाई होती है, साथ ही भवन जर्जर होने से हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों के जर्जर भवन की मरम्मती के साथ अतिरिक्त कमरों का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*81. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चिरैया प्रखंड के सेमरा ग्राम पंचायत के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय भवन के अभाव में सेमरा में संचालित नहीं है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के भवन निर्माण कार्य हेतु सेमरा ग्राम में हनुमान मंदिर के नजदीक पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, जिसका थाना नम्बर 132, खाता संख्या 382, खेसरा 834, मौजा है, सेमरा ग्राम में विद्यालय नहीं होने से उक्त ग्राम के बच्चों को 2 किलो मीटर फैदल चलकर दूसरे ग्राम में जाना पड़ता है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य सेमरा में कराकर विद्यालय को संचालित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*82. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 इमरॉव)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर के प्रभारी खनन पदाधिकारी-सह-सीनियर डिप्टी कलेक्टर श्री श्रेयांस तिवारी द्वारा 18 जून, 2023 को बक्सर में अवैध तरीके से लाल बालू लदे एक साथ 45 ट्रकों को जब्त किया गया था, परन्तु इसकी प्राथमिकी कांड संख्या-134/23, दिनांक 19 जून, 2023 को सिर्फ 22 ट्रकों पर की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रभारी खनन पदाधिकारी पर UP61T1785 के ट्रक चालक ने ट्रक छोड़ने के लिए गैर-कानूनी तरीके से नकद और फोनपे के माध्यम से अपने और अपने परिजनों के खाता में पैसा जमा कराने के आरोप लगाए हैं, साथ ही शेष अवैध बालू लदे 23 ट्रकों को भी रिश्वत लेकर छोड़ देने का गंभीर आरोप भी लगा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बक्सर के प्रभारी खनन पदाधिकारी-सह-सीनियर डिप्टी कलेक्टर श्री श्रेयांस तिवारी को पद मुक्त कर उन पर लगे आरोपों तथा उनकी आय और सम्पत्ति की जाँच कराने एवं दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*83. श्रीमती रेखा देवी (क्षेत्र संख्या-189 मसौडी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत धनरूआ प्रखंड में श्रीराम हरि उच्च माध्यमिक विद्यालय, पभेड़ा में स्थित है जिसकी चहारदीवारी नहीं होने के कारण विद्यालय की जमीन स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण की जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त उच्च माध्यमिक विद्यालय का कबतक जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए चहारदीवारी का निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रात्रि बस चलाना

*84. श्री संजय कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-30 बेलसंड)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है पटना से शिवहर होते हुए बरगिनिया तक कोई भी सरकारी बस रात्रि में नहीं होने के कारण वहाँ के लोगों को पटना आने-जाने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पटना से शिवहर होते हुए बरगिनिया तक रात्रि बस चलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतन भुगतान

*85. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत संस्कृत विद्यालय में कार्यरत विज्ञान शिक्षकों की वेतन भुगतान फरवरी, 2019 तक ही किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 31 मार्च, 2019 को विज्ञान शिक्षकों द्वारा प्रेषित अभ्यावेदन के आलोक में शिक्षा-मंत्रालय, भारत सरकार ने सूचित किया है कि राज्यादेश 150, दिनांक 23 मार्च, 2002 के अनुसार प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार को वेतन का निर्धारण एवं भुगतान करना है ;

(3) क्या यह बात सही है कि प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय में विज्ञान शिक्षक 20-25 वर्षों से कार्य कर रहे हैं तथा वेतन का भुगतान नहीं किये जाने से इनके जीवन यापन में कठिनाई हो रही है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संस्कृत विद्यालय में कार्यरत विज्ञान शिक्षकों के वेतन भुगतान करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*86. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत पिंकी कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं मनीष कश्यप प्रधान लिपिक अन्धराडाही प्रखंड में पदस्थापित हैं जिन्हें 7 माह पूर्व बासोपट्टी का प्रभार दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों के प्रभार में रहने के कारण बाल विकास कार्यालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन में प्रतिकूल असर पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों को प्रभार से मुक्त कर स्थायी नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उत्क्रमित करना

*87. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड कुटुम्बा, देव एवं नवीनगर में एक भी अंगीभूत महाविद्यालय नहीं होने से छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफी दिक्कतें होती हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखण्डों में अंगीभूत महाविद्यालय खोलने अथवा किसी भी +2 विद्यालय को महाविद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*88. श्री मनोज यादव (क्षेत्र संख्या-163 बेलहर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना सदर पहाड़पुर हरिजन टोला केन्द्र सं0-67 में लगभग 15 वर्षों से आंगनबाड़ी केन्द्र श्री मोहन पासवान के मकान में संचालित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिस मकान में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है उससे किसी भी तरह का एकरारनामा नहीं किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि मकान किराया मोहन पासवान को नहीं देकर सहायिका शकुन्तला देवी के खाते में दिया जाता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूरी जाँच कराकर सरकारी राशि का गबन करने वाले पदाधिकारी तथा सेविका पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*89. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है जहानाबाद जिला अन्तर्गत मोदनगंज प्रखंड का प्राथमिक विद्यालय, प्रीतम बिगहा तथा घोसी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय, चैपहा को जर्जर भवन होने के कारण दूसरे विद्यालय में टैग कर दिया गया, जिसके कारण इन टैग किये गये विद्यालयों में बच्चों की संख्या इसलिए कम है, क्योंकि पूर्व स्थापित गांव के बच्चे दूरी अधिक होने के कारण तथा टैग स्थल के गांव में स्थायी विद्यालय होने के कारण नामांकन नहीं करा पाते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि नया भवन निर्माण के क्रम में बच्चों की संख्या और कमरों की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकी तय की जाती है जिस कारण टैग हुए अथवा भवनहीन विद्यालय प्राथमिकता सूची के बाहर रह जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भवनहीन या जर्जर भवन वाले विद्यालयों के लिए प्रथम प्राथमिकता के आधार बनाकर भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

खेल परिसर का निर्माण

*90. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज नगर एक अनुमंडलीय शहर है, इसमें युवाओं एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए एक भी राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर (स्टेडियम) नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक फारबिसगंज नगर में खुला खेल परिसर का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*91. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ प्रखंड अन्तर्गत पंचायत दुब्बा में उच्च विद्यालय अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के भवन निर्माण में घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग किया गया है जिससे भवन का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में निर्मित विद्यालय भवनों की उच्चस्तरीय जाँच कराते हुये संवेदक एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*92. श्री संजय कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-30 बेलसंड)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत तरीयानी प्रखंड में नरवाला हाई स्कूल का चहारदीवारी नहीं होने के कारण स्कूल की जमीन को स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक उक्त विद्यालय का चहारदीवारी का निर्माण कराने विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा उपलब्ध कराना

*93. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, चोचाही भरपुरा को वर्ष 2003 में उत्क्रमित मध्य विद्यालय एवं वर्ष 2020 में उच्च माध्यमिक विद्यालय, भरपुरा पटपारा के रूप में उत्क्रमित किया गया था, जिसमें छात्र-छात्राओं की कुल संख्या 748 है, जबकि कमरों की संख्या मात्र 7 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय को उत्क्रमित तो की गयी, किन्तु अतिरिक्त कमरा एवं उच्च विद्यालय के अनुसार सुविधा नहीं दी गयी है, जिससे छात्रों को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय परिसर में अतिरिक्त कमरा का निर्माण एवं उच्च विद्यालय के अनुसार सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सौन्दर्यीकरण करना

*94. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के सुलतानगंज प्रखंड के मंझली में कुम्हरा पोखर स्थित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पोखर का सर्वांगीण विकास के साथ सौन्दर्यीकरण करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि खर्च नहीं करने का औचित्य

*95. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 21 जून, 2023 के अंक में छपी खबर के शीर्षक "जिला खनन कोष में 122 करोड़ खर्च हुये मात्र 29 करोड़" के आलोक में क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के खनिज क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिये जिला खनिज निधि से राशि खर्च करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, गया, पटना सहित कई अन्य खनिज उत्पादक जिलों में खनिज निधि में 122 करोड़ से अधिक की राशि में से पदाधिकारियों की उदासीनता के कारण मात्र 29 करोड़ की राशि ही खर्च हो सकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राशि की उपलब्धता के बाद भी उसे विकास कार्यों में खर्च नहीं करने का क्या औचित्य है ?

विद्यालय संचालित कराना

*96. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखंड अतरी के ग्राम-वेदपुरा के 1500 आबादी वाले टोला में एक भी प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत नहीं रहने के कारण बच्चों को पढ़ाई-लिखाई में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार ग्राम-वेदपुरा में प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत करके विद्यालय संचालित कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*97. श्री राज कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय के मटिहानी विधान सभा अन्तर्गत बेगूसराय नगर निगम के क्रमशः वार्ड नम्बर 10 स्थित उत्कर्मित मध्य विद्यालय, नागदह, वार्ड नं० 17 अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, पत्तापुर, वार्ड नं० 18 अन्तर्गत राजकीयकृत उच्च विद्यालय, सिंहमा का भवन जर्जर है, जिससे कभी भी अप्रिय घटना घटने की संभावना बनी हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित विद्यालयों के जर्जर भवनों के निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*98. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के प्रखंड राजपुर के पंचायत मगराव के अन्तर्गत कन्या प्राथमिक विद्यालय, रौनी है, जिसकी न भूमि है और नहीं इसका भवन है, जिस कारण विद्यालय के बच्चे अन्यत्र जगह जाकर अध्ययन करते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के लिये भूमि अधिग्रहण कर भवन को बनाने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस सेवा का परिचालन

*99. श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत छपरा से प्रखंड परसा के दोगा चौक भाया बनकरवा, परसौना, दरिहारा, मगरपाल, बरूआ एवं सोनपुर, हाजीपुर होते हुये प्रटना मार्ग में एक भी सरकारी बस सेवा का परिचालन नहीं किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मार्ग में सरकारी बस सेवा का परिचालन नहीं होने के कारण यात्रियों को निजी बस से अत्यधिक भाड़ा देकर यात्रा करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मार्ग में सरकारी बस सेवा का परिचालन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त कमरों का निर्माण

*100. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत नगर निगम वार्ड संख्या 25 स्थित मध्य विद्यालय, विवेकानंद पल्ली का भवन जर्जर स्थिति में है, उक्त मध्य विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या काफी अधिक होने के कारण पठन-पाठन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मध्य विद्यालय के भवन का जीर्णोद्धार करते हुये अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षक का पदस्थापन

*101. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के दिघवारा प्रखंड के जनक ईश्वर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, शीतलपुर एवं जय गोविन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दिघवारा में उर्दू के शिक्षक कार्यरत हैं शेष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च विद्यालय में उर्दू शिक्षक कार्यरत नहीं हैं। जिससे उर्दू पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार दिघवारा प्रखंड के शेष सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च विद्यालय में उर्दू शिक्षक का पदस्थापना का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन-सह-शेड का निर्माण करना

*102. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला अंतर्गत चेवाड़ा प्रखंड के ग्राम-करंडे दलित टोला, अंगपुर दलित टोला, रांकड़ दलित टोला, बेलखुन्डी टोला में सामुदायिक भवन-सह-शेड नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्रामों में सामुदायिक भवन-सह-शेड नहीं होने से अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गांवों में सामुदायिक भवन-सह-शेड का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज की स्थापना

*103. श्री युसुफ सलाहउद्दीन (क्षेत्र संख्या-76 सिमरी बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर में डिग्री कॉलेज की स्थापना हेतु शिक्षा विभाग द्वारा राशि विमुक्त करने के बावजूद डिग्री कॉलेज की स्थापना नहीं की जा सकी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक डिग्री कॉलेज के स्थापना का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*104. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखंड के बिघौर पंचायत में एक खेल का मैदान है, जहां क्षेत्र के नौजवानों फुटबॉल, क्रिकेट एवं अन्य खेलों का आयोजन करते रहते हैं ;

- (2) क्या यह बात सही है कि स्टेडियम के अभाव में खेलों का सफल आयोजन नहीं हो पाता है ;
 (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मैदान में एक स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय स्थापित करना

*105. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 एवं तद्आलोक में अधिसूचित नियमावली 2011 के तहत प्रत्येक बसाव क्षेत्र/टोलों में 40 बच्चे अथवा न्यूनतम 01 किलोमीटर की परिधि में भूमि की उपलब्धता रहने पर नया विद्यालय खोले जाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के पहुँसरा पंचायत के वार्ड नं० 12 भट्टा टोला में 5 किलोमीटर के दायरे में कोई विद्यालय नहीं है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय एवं अनुसूचित जाति के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, जबकि नया विद्यालय स्थापित करने के लिये राजस्व मौजा-बढ़ेपारा, थाना नं० 70, तौजी नं० 8/5 भुट्टा टोला में खाता नं० 79, खेसरा नं० 87, रकबा 40 डिसमिल सरकारी जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वार्ड में एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*106. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के दिघवारा नगर पंचायत अंतर्गत कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं कन्या मध्य विद्यालय, शंकरपुर रोड, दिघवारा का भवन जर्जर अवस्था में है तथा छात्र-छात्राओं की संख्या के अनुपात में भवन नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित विद्यालयों के जर्जर भवन की मरम्मत एवं अतिरिक्त भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदाधिकारियों का पदस्थापन

*107. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अपर मुख्य सचिव कार्यालय शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 166 गो०, दिनांक 23 जून, 2023 पत्र के अनुसार विद्यालयों का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रखंड के अन्य विभाग के पदाधिकारी व कर्मचारी जैसे प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के अतिरिक्त राजस्व कर्मचारी, पंचायत लेखापाल, पंचायत रोजगार सेवक सहित अन्य कर्मियों को लगाया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय निरीक्षण कार्य में अधिकृत पदाधिकारियों की जगह अन्य कार्यालय कर्मियों को लगाने से उक्त विभाग के कार्य प्रभावित होने की सम्भावना है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इन समस्या को दूर करने में क्या कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय स्थापित करना

*108. श्री जितेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के अस्थावाँ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सरमेरा प्रखंड के ग्राम-शेखड़ा विधा एवं अस्थावाँ प्रखंड के अमरसिंह विधा में प्राथमिक विद्यालय नहीं होने के कारण छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ने हेतु लगभग 2 किलो मीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित गाँवों में कबतक प्राथमिक विद्यालय का यूनिट बनाते हुये भवन निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शुल्क माफ कराना

*109. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत कुल्हडिया और बभनियाँव में टोल प्लाजा शुरू किया गया है एवं भोजपुरवासियों को 20 से 25 किलो मीटर के दायरे में ही दो जगह टोल टैक्स देना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भोजपुर के रहने वाले प्राईवेट वाहन का टोल टैक्स नहीं लगने से भोजपुरवासियों को राहत होगी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कुल्हडिया और बभनियाँव टोल प्लाजा पर भोजपुर के प्राईवेट वाहन का शुल्क माफ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*110. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के मोदनगंज प्रखंड अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, हसनपुर के भवन निर्माण हेतु दान दाता ने वर्ष 2005 में 7 डी0 जमीन रजिस्ट्री किया था जबकि उस समय मात्रा 6 डी0 जमीन की ही माँग की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि तत्काल उक्त विद्यालय को दूसरे विद्यालय में टैग कर दिया गया है तथा भवन निर्माण हेतु विभाग से 10 डी0 जमीन की माँग की जा रही है, जो उचित नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रारंभिक माँग के अनुसार दान की गई जमीन के अनुकूल प्राक्कलन तैयार कर भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सेवा को मान्यता देना

*111. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के गोरेयाकोठी प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-गोरेयाकोठी के प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, गोरेयाकोठी में प्रबंध समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 4 के अनुसार श्रीमती मीना कुमारी की नियुक्ति दिनांक 2 जनवरी, 1985 को संगीत सहायक शिक्षिका के पद पर हुई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि श्रीमती मीना कुमारी की संगीत प्रभाकर की डिग्री को डिप्लोमा बतलाकर इनकी सेवा को मान्यता नहीं दी गई, अवैतनिक कार्य करते हुये दिनांक 11 अप्रैल, 2018 को सेवा काल में ही इनकी मृत्यु हो जाने के कारण आश्रित परिवारजनों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्व0 मीना कुमारी द्वारा की गई सेवा को मान्यता देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

खेल मैदान का निर्माण

*112. डॉ० निक्की हेन्ड्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत कटोरिया प्रखंड के तरगछा पंचायत के धोबनी ग्राम में स्थित उत्कृष्ट उच्च विद्यालय, लीलावरण के पास खेल मैदान के लिये 6.5 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि तरगछा पंचायत एवं आस-पास पंचायत के युवाओं का शारीरिक विकास एवं खेलने हेतु कोई खेल मैदान नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जमीन पर खेल मैदान का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*113. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत प्रखंड सुपौल, पंचायत हरदी पश्चिम, ग्राम-बिसनपुर में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय ताती टोला भवनहीन है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित करना

*114. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत मिर्जानहाट उच्च विद्यालय में छात्र-छात्राओं की संख्या के अनुपात में शिक्षकों का पदस्थापन नहीं किया गया है, जिसके कारण बच्चों का पठन-पाठन समुचित रूप से नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में विद्यार्थी के अनुपात में शिक्षकों का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का निर्माण

*115. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखंड के ग्राम पंचायत बेला के ग्राम-मोहिउद्दीपुर में प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने से छात्र-छात्राओं को सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर पठन-पाठन का कार्य करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त गाँव में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन एवं भूमि उपलब्ध कराना

*116. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज विधान सभा क्षेत्र के भवनहीन एवं भूमिहीन प्राथमिक विद्यालय, कहार टोला, हरिपुर एवं प्राथमिक विद्यालय, बहरदार टोला, रामपुर उत्तर को 2 किलो मीटर से 4 किलो मीटर दूर अवस्थित मध्य विद्यालयों में स्थापित कर दिया गया है, जिसके कारण छोटे बच्चों को विद्यालय आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं वर्ग कक्षा की कमी से पठन-पाठन भी प्रभावित हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक फारबिसगंज विधान सभा क्षेत्र के भवनहीन एवं भूमिहीन प्राथमिक विद्यालयों को भवन एवं भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण कराना

*117. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखंड अन्तर्गत महीनबारा पंचायत एवं ओलीपुर पंचायत में उत्क्रमित 10+2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्र-छात्रों के अनुपात में भवन नहीं रहने से पढ़ाई में बच्चों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त पंचायतों में 10+2 स्तरीय विद्यालय हेतु भवन का निर्माण कबतक कराने विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमियाँ दूर कराना

*118. श्री अशोक कुमार (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत +2 रा० उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवाजीनगर, रा० उच्च माध्यमिक विद्यालय, वारिसनगर जैसे पुराने विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के अनुपात में वर्ग कक्ष, हॉल, बेन्च, डेस्क इत्यादि की कमी रहने के कारण पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक, बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिये सभी पुराने विद्यालयों की कमियों को दूर कराते हुये पठन-पाठन का स्वस्थ इंतजाम कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राज्य महोत्सव के रूप में मनाना

*119. श्री हरीभूषण ठाकुर "बचोल" (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी, दरभंगा, सहित उत्तर बिहार में लोक देवता बाबा बकतौर, राजा सलेहश तथा बिहुला विशहरा की पूजा आस्था के साथ धूम-धाम से मनाई जाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार लोक देवता बाबा बकतौर, राजा सलेहेश तथा बिहुला विशहरा उत्सव को संरक्षण तथा सुविधा देने हेतु इसे मधुबनी में राज्य महोत्सव के रूप में मनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षक की प्रतिनियुक्ति

*120. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड के हरिओ पंचायत में 2020 में ही मध्य विद्यालय हरिओ को उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय किया गया है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय को उत्क्रमित हुये दो साल से अधिक हो गया एवं दो बैच बच्चे पास आउट भी हो गये हैं ;
- (3) क्या यह बात सही है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है ;
- (4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बकाये वेतन का भुगतान

'क'-*121. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के कटिहार जिला के ममता कर्मियों को पिछले नौ महीनों से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे उनके सामने कठिन समस्या उत्पन्न हो गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक ममता कर्मियों के बकाये वेतन का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट— 'क'-समाज कल्याण विभाग से स्वास्थ्य विभाग में स्थानान्तरित ।

भवन का निर्माण

*122. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड मदनपुर के पंचायत दधपी के ग्राम गैवाल विगहा में प्राथमिक विद्यालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने के कारण छात्र एवं छात्राओं को पढ़ने हेतु 5 किलोमीटर दूर दूसरे ग्राम शीवगंज जाना पड़ता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान पर न युनिट न ही भवन है, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, जबकि पढ़ने वालों छात्रों की संख्या 300 से अधिक है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर जमीन उपलब्ध करवाते हुये युनिट के साथ प्राथमिक विद्यालय खोलने, एवं भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राज्यकर्मों का दर्जा देना

*123. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्यभर में प्राथमिक विद्यालय/मध्य विद्यालय/उच्च विद्यालय में पंचायती राज विभाग, नगर निगम एवं जिला परिषद् के माध्यम से पिछले तीन दशक से 4.0 लाख शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष/शारिरिक शिक्षकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर हुयी थी, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त शिक्षकों को राज्यकर्मों का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*124. श्रीमती रेखा देवी (क्षेत्र संख्या-189 मसौढ़ी (अ०जा०))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि धनरूआ धाना कांड सं० 361/21, दिनांक 23 अक्टूबर, 2021 को मोरियावां गाँव निवासी, रोहित कुमार, पिता-धुरखेली चौधरी एवं धनरूआ धाना कांड सं० 709/22, दिनांक 22 नवम्बर, 2022 को फूला देवी, पति-रमजी पासवान की हत्या गोली मारकर कर दी गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दोनों परिवार अनुसूचित जाति के हैं एवं काफी गरीब एवं असहाय हैं, दोनों परिवार को मुआवजा एवं सरकारी नौकरी का लाभ आजतक नहीं मिला है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों परिजनों के आश्रित को मुआवजा की राशि एवं सरकारी नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का निर्माण

*125. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के गोह प्रखंड के बनतारा पंचायत के ग्राम गोविन्द बीचा में उर्दू प्राथमिक विद्यालय तथा हसपुरा प्रखंड के धुसरी पंचायत के ग्राम-हरी विगहा में प्राथमिक विद्यालय नहीं होने से बच्चों को पठन-पाठन करने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गाँवों में कबतक प्राथमिक विद्यालय बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन का निर्माण

*126. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला अन्तर्गत प्रखंड किशनपुर के ग्राम पंचायत-किशनपुर दक्षिण के वार्ड नं० 9 ग्राम-चौहट्टा दलित एवं महादलित बस्ती में सार्वजनिक कार्यक्रम के लिये जगह नहीं है जबकि गैर-मजरूआ भूमि उपलब्ध है, यदि

हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित दलित एवं महादलित बस्ती में प्राथमिकता के आधार पर सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित कराना

*127. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन विधान सभा के प्रखंड कोचाधामन में 10+2 स्तरीय उच्च विद्यालय, सोंथा में गणित विषय के शिक्षक नहीं रहने से छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार 10+2 स्तरीय उच्च विद्यालय, सोंथा में गणित विषय के शिक्षक को पदस्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उर्दू इकाई की व्यवस्था कराना

*128. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत खरीक प्रखंड के लोकमानपुर पंचायत में प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर तक उर्दू इकाई नहीं है, जबकि उक्त पंचायत में लगभग छः सौ मुस्लिम परिवार रहते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उर्दू इकाई नहीं रहने के कारण कई छात्र-छात्राएँ उर्दू पढ़ने से वंचित रह जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायत के प्राथमिक विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर तक में उर्दू इकाई की व्यवस्था कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पढ़ाई चालू कराना

*129. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुरारका महाविद्यालय सुलतानगंज, भागलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र का अंगीभूत महाविद्यालय है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस क्षेत्र से कामर्स की पढ़ाई के लिये छात्र-छात्राएँ बाहर जाने के लिये विवश हैं, जबकि इस महाविद्यालय में पर्याप्त संसाधन हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि तिलकामांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर द्वारा मुरारका महाविद्यालय में कामर्स आनर्स तक की पढ़ाई का प्रस्ताव सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर विभाग को भेजा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुरारका महाविद्यालय में कॉमर्स (प्रतिष्ठा स्तर तक) की पढ़ाई चालू कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 11 जुलाई, 2023 (ई०)।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।